लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01.	श्री संजीव सरन	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री एम0पी0 अग्रवाल	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राज शेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री आर0के0 सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री पी0एन0 यादव	अनु सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
06.	श्री अजय मिश्रा	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री एम0एम0 मिश्रा	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
08.	श्री पी0के0 सिन्हा	मुख्य अभियंता, जल निगम, लखनऊ।
09.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
11.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति :

12.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी	सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
14.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री डी0आर0 यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.01.2014 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.01.2014 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 — परिचालन द्वारा पारित वित्तीय वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित, माह जनवरी, 2014 तक वास्तविक एवं वर्ष 2014-15 का प्रस्तावित आय-व्ययक के प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 4 — चक गंजरिया फार्म परियोजना को प्रदर्शित लखनऊ विस्तारित क्षेत्र महायोजना 2021 के परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 5 — उ०प्र० शासन द्वारा प्रस्तावित चक गंजरिया फार्म परियोजना के विकास हेतु प्राप्त भूमि की अवस्थापना सुविधाएं प्राप्त करने पर विभिन्न भूखण्डों के उपयोग के साथ दर्शित विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय : — उ०प्र० शासन द्वारा प्रस्तावित चक गंजरिया फार्म परियोजना के विकास हेतु प्राधिकरण को प्राप्त भूमि की अवस्थापना सुविधाएं तथा विभिन्न भूखण्डों के उपयोग के साथ दर्शित विन्यास मानचित्र को अनुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 6 आजाद नगर योजना ब्लाक-बी में लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु उपलब्ध कराये के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-2 के अन्तर्गत ले-आउट में कनवीनियंट शॉप (लोकल शॉप) भू-उपयोग से सामुदायिक सुविधाए-सब स्टेशन में आवश्यक संशोधन करते हुए आजाद नगर योजना ब्लाक-बी में लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि 629.00 वर्ग मी0 उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 7 उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 2014 को अंगीकृत करते हुए मृतक आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को आश्रितों की भर्ती (ग्यारहव संशोधन) नियमावली 2014 को अंगीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 8 श्री एल0एम0 प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी को पैरापीलिजिया/स्पास्टीसिटी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण स्पाईनल कार्ड के आपरेशन/चिकित्सा के निमित्त चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : श्री एल0एम0 प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 4,28,815/- में से चिकित्सा अग्रिम रू0 3,37,460/- को समायोजित करते हुए शेष रू0 91,355/- का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 9 श्री सुशील कुमार, चालक के चिकित्सा पर किये गये व्यय धनराशि की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : श्री सुशील कुमार, चालक द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 4,35,000/- के समायोजन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 10

श्री हसन रजा, अवर अभियन्ता के पुत्र बासिल रजा की चिकित्सा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

श्री हसन रजा, अवर अभियन्ता द्वारा अपने पुत्र बासिल रजा की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 24,29,039/- में से रू0 2,00,000/- अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि रू0 22,29,039/- की प्रतिपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11

गोमती नगर विस्तार योजना के शहीद पथ के पूर्वी ओर स्थित क्षेत्र को 18.00 मी0 चौड़े सम्पर्क मार्ग के विकास हेतु सेक्टर-6 के विन्यास मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गोमती नगर विस्तार योजना के शहीद पथ के पूर्वी ओर स्थित क्षेत्र को 18.00 मी0 चौड़े सम्पर्क मार्ग के विकास हेतु सेक्टर-6 के अन्तर्गत विन्यास मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 12

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

शा0दे0सं0-4384/8-3-11-181विविध/2008, दिनांक 27.09.11 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में प्रस्तावित संशोधनों को यथावत अंगीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित संशोधनों पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में उसे अंगीकृत करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय संख्या : 13

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित आवासीय भू-उपयोग की भूमि पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम एवं अनुसंगिक क्रियाओं को भवन उपविधि में प्राविधानित विशेष अनुमति हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 14</u>

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्राधिकरण द्वारा आवंटित अधिकतम दो व्यावसायिक भूखण्डों को एकीकृत कर भवन मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. भूखण्डों के आवंटन में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. भवन- निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में निर्धारित मानकों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. एकीकृत किये गये भूखण्डों में भवन उपविधि के अनुसार अलग-अलग भूखण्डों पर निर्धारित आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

4. ले-आउट में भूखण्डों का निर्धारित वाह्य सेटबैक यथावत् रहेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रकरण केस-टू-केस के आधार पर निर्धारित प्रतिबन्ध का अनुपालन कराते हुए बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

6. ऐसे प्रत्येक मामले में सर्किल रेट का 2 प्रतिशत एकीकृत शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

<u>विषय संख्या : 15</u>

मानचित्र स्वीकृति के समय मैकेनाइज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र के साथ जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहनों के मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने हेतु आंकलित धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक गारण्टी या प्रतिभूति धनराशि के रूप में पक्ष से जमा करायी जाये और यदि पक्ष द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत मैकेनाइज्ड पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाता, तो उक्त धनराशि को जब्त करते हुए अपार्टमेन्ट एक्ट के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि निषिद्ध किए जायें।

विषय संख्या : 16

गोल्फ क्लब लखनऊ 1-कालिदास मार्ग के शमन/प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत/अस्वीकृत पर उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-105/आठ-3-14-296 काम्प/08 दिनांक 20.01.2014 के संदर्भ में बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 17

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत लखनऊ द्वारा स्वीकृत किये जा रहे विकास व निर्माण के मानचित्रों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

उ0प्र0 शहरी नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-59 के प्राविधानों के तहत जिला पंचायत द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त विकास या निर्माण से सम्बन्धित मानचित्रों को स्वीकृत करने का अधिकार जिसे उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-162 से 171 द्वारा प्रदान किया गया था, इसे निलम्बित (सस्पेंड) कर दिया गया है। यह अधिकार केवल प्राधिकरण में निहित है। निर्देश दिये गये कि प्रमुख सचिव, आवास को प्राधिकरण की ओर से एक पत्र प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया जाये कि स्व स्तर से प्रमुख सचिव, पंचायत राज को पत्र भेजकर अथवा अपने स्तर पर एक बैठक जिसमें जिलाधिकारी, लखनऊ को आमंत्रित कर लिया जाये, में जिला पंचायत द्वारा अनधिकृत रूप से स्वीकृत किये जा रहे ले-आउट एवं भवन मानचित्रों को स्वीकृत किये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त अवैध रूप से स्वीकृत मानचित्रों की सूची तैयार कराई जाये तथा समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर जनसामान्य के संज्ञान में लाया जाये कि लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ले-आउट एवं मानचित्र स्वीकृत करने का सर्वाधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में सन्निहित है। अतएव जिला पंचायत तथा उक्त क्षेत्र में स्वीकृत ले-आउट एवं प्लान्स अवैध है। प्रश्नगत क्षेत्रों में ले-आउट एवं मानचित्र को स्वीकृत करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। जिला पंचायत को भवन मानचित्र स्वीकृत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था जिला पंचायत से

ले-आउट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

<u>विषय संख्या : 18</u>

उजरियांव आवासीय योजनान्तर्गत भूमि खसरा संख्या-27 स्थित ग्राम-उजरियावं की अर्जित भूमि क्षेत्रफल 0-2-7-0 बीघा के विनियमितीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रश्नगत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आये कि श्रीमती गीता रस्तोगी द्वारा अर्जित भूमि धारा-4/17, 6/17 एवं प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा, दखल की कार्यवाही दिनांक 13.05.1983 के पश्चात् दिनांक 20.06.1983 को क्रय कर दिनांक 19.08.1983 को पंजीकृत करायी गयी थी, जबकि श्री हरिदास कपूर द्वारा धारा-4/17 व 6/17 के पूर्व भूमि क्रय की जा चुकी थी। इस प्रकार दोनों प्रकरण समान प्रकृति के नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निर्णय लिया गया कि अर्जन के पश्चात श्रीमती गीता रस्तोगी द्वारा क्रय की गयी भूमि का समायोजन/आवंटन समानता के आधार पर किया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव निरस्त किया गया।

<u>विषय संख्या : 19</u>

भूमि खसरा संख्या-85पी ग्राम विजईपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर श्रीमती रामदुलारी गोयल, (सचिन सुर्खी उद्योग) द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-43(1) के अन्तर्गत योजित पुनरीक्षण वाद सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

विस्तृत विचार-विमर्श के अन्तर्गत यह तथ्य संज्ञान में लाये गये कि विभूति खण्ड में टी0सी0/48, व्यवसायिक भूमि आंवटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय दिनांक 07.06.2013 के अनुक्रम में शासन द्वारा धारा-41(3) के तहत दिनांक 05.03.2014 को प्राधिकरण के निर्णय दिनाकं 07.06.2013 को सही नहीं मानते हुए पुनः बोर्ड को संदर्भित किया है। शासन द्वारा धारा-41(3) के अन्तर्गत दिये गये आदेश बाध्यकारी है। साथ ही बोर्ड द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि याची द्वारा पूर्व में समस्त धनराशि समय से जमा कर दी गई थी, अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि शासन के आदेश के क्रम में याची के पक्ष में समायोजित उक्त भूखण्ड का निबन्धन कराया जाये।

विषय संख्या : 20	गोमती नगर आवासीय योजनान्तर्गत अनार्जित भूमि खसरा संख्या-952/3 स्थित ग्राम-उजरियावं की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर आवासीय योजनान्तर्गत अनार्जित भूमि खसरा संख्या-952/3 स्थित ग्राम-उजरियावं की भूमि क्षेत्रफल 1-0-0-0 के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत विकल्पों पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम भूमि खसरा संख्या-952/3 ग्राम-उजरियांव को समायोजन के प्रकरण पर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)-प्रथम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें संयुक्त सचिव-अर्जन, ल0वि0प्रा0 तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन कार्यालय, उ0प्र0 शासन सदस्य होंगे। यह उपसमिति भूमि के मालिकाना हक व गाटा संख्या का अर्जन किन कारणों से नहीं किया गया आदि-आदि विषयों पर परीक्षण कर अपनी आख्या 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगी।
विषय संख्या : 21	(1) गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से एक्वाडक्ट (सेक्टर-5 व 6 की ओर) एवं (2) गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से एक्वाडक्ट तक (अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की ओर) तथा (3) गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद से सुल्तानपुर रोड तक (ई0एम0एम0आर0 जी0एफ0 एवं ओमेक्ट इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की ओर) तटबन्ध निर्माण हेतु बन्धा निर्माण शुल्क प्रस्तावित कर वित्तीय प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही तीनों बन्धों के लाभान्वित क्षेत्रफल में अवस्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप, हाईटेक टाउनशिप तथा अन्य निजी निर्माताओं पर समानुपातिक रूप से बंधा निर्माण शुल्क अवधारित कर वसूल किये जाने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 22	लखनऊ विस्तारित क्षेत्र महायोजना-2021 (प्रारूप) के 197 ग्रामों के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकास/निर्माण हेतु प्राप्त मानचित्रों के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रस्तावित समिति में जिलाधिकारी, लखनऊ की ओर से अपर जिलाधिकारी

(प्रशासन) को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाय। प्रस्तावित गाइड लाइन्स के परीक्षण में ले-आउट/प्लान स्वीकृति में ग्राम-समाज, तालाब, मार्ग, झील आदि की भूमि को सुरक्षित किया जाय। प्रस्तावित मानचित्रो के अन्तर्गत ग्राम-समाज या सरकारी भूमि न समाहित किये जाने के साथ-साथ इस भूमि तक पहुँच मार्ग को भी सुनिश्चित किया जाय।

<u>विषय संख्या : 23</u>

लखनऊ विकास क्षेत्र में बाराबंकी के नवाबगंज, नगर पालिका परिषद क्षेत्र, बंकी नगर पंचायत क्षेत्र, देवां नगर पंचायत क्षेत्र, सतरिख नगर पंचायत क्षेत्र के साथ तहसील फतेहपुर के 24 एवं तहसील नवाबगंज के 186 ग्राम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रश्नगत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 24</u>

लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित वाह्य रिंग रोड के संरेखण एवं इसकी चौड़ाई के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रश्नगत प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए समिति द्वारा संस्तुत रिंग रोड के संरेखण एवं चौड़ीकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 25</u>

श्री मंगलपाल, सुश्री मंजरी निकिता व श्रीमती मंजरी निर्झर का पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति के अन्तर्गत 75 वर्गमी0 का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

<u>विषय संख्या : 26</u>

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये भूखण्डों को बिना नवीनीकरण/फ्रीहोल्ड कराये मूल पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारियों अथवा अन्य क्रेता से, (जो मूल पट्टेदार अथवा विधिक उत्तराधिकारियों की श्रेणियों नें नहीं आते) के द्वारा पट्टा अवधि में विक्रय कर दिये जाने के बाद क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

<u>निर्णय :</u>

बैठक में अवगत कराया गया कि समान प्रकृति का प्रकरण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में शासन को संदर्भित किया गया है। अतः निर्णय लिया गया कि एकरूपता के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को भी मार्गदर्शन हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्या : 27

सहारा इंडिया कामर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड के संशोधित ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में।

निर्णय :

स्वामित्व एवं अन्य अभिलेखों के गहन परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 28

लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित ''नगर केन्द्र'' (व्यवसायिक उपयोग) की भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर गहन अध्ययन के पश्चात पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 29

लखनऊ महायोजना 2021 में दर्शित सुरक्षा जोन से सम्बन्धित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सुरक्षा जोन के अन्तर्गत भवनों की ऊँचाई के 7 मी0 प्रतिबन्ध का अनुपालन करते हुए अधिकतम 60 प्रतिशत भू-आच्छादन में छूट अनुमन्य करते हुए आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि बिल्डिंग लाइन मेनटेन रखी जाये तथा भवन उपविधि में निर्धारित मानक यथा-सेटबैक, एफ0ए0आर0, पार्किंग आदि का पूर्ण अनुपालन किया जाये। आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपविधि में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

विषय संख्या : 30

मे0 श्री कोलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-भसण्डा, मोहनलालगंज, लखनऊ पर 51.695 हेक्टेअर भूमि पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि मे0 श्री कोलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 के प्रस्तावित तलपट मानचित्र को लखनऊ विस्तारित क्षेत्र महायोजना-2021 (प्रारूप) के 197 ग्रामों के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे मानचित्रों की स्वीकृति हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा परीक्षण कर लिया जाये,

ताकि उसके अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम समाज की भूमि, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपयोग यथा-तालाब, पोखर, मार्ग, झील, खलिहान, शमशान, कब्रिस्तान आदि की भूमि को सुरक्षित किया जा सके। प्रस्तावित मानचित्रों के अन्तर्गत ग्राम समाज या सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग को भी सुनिश्चित कराते हुए परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

अनु0वि0सं0 : 01 यू0पी0 विद्यालय प्रबन्धक एसोसियेशन व अन्य बनाम यू0पी0 द्वारा नगर में संचालित विद्यालयों को विनियमितीकरण हेतु किये गये अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : गठित समिति द्वारा गहन अध्ययन के साथ अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनु0वि0सं0 : 02 उत्तर प्रदेश शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर विकासाधीन मे0 अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के हाईटेक टाउनशिप के द्वितीय विस्तार (2935 एकड़) सहित सम्पूर्ण क्षेत्रफल 6465 एकड़ के संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 09.01.14 पर विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनाक 24.04.2014 के बिन्दु संख्या-6 को स्वीकार करते हुए डी0पी0आर0 समिति द्वारा उल्लिखित सुझाव एवं आपत्तियों को समावेशित कराते हुए डी0पी0आर0 संशोधित कराने के उपरान्त समिति की संस्तुति सहित प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 03 लखनऊ विकास प्राधिकरण के 20 वर्ष पुराने 04 अदद हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं उनके स्थान पर 04 अदद नये हल्के वाहन क्रय किये जाने के संबंध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 04 अद्द हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनके स्थान पर 04 अद्द नये हल्के वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु0वि0सं0 : 04	गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-3 के अन्तर्गत पार्क सं0-13 के साथ आरक्षित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड का भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाएं किये जाने के संबंध में।
निर्णय :	भूखण्ड, सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल मानक के अनुसार न होने की दशा में वर्तमान ले-आउट प्लान के अनुरूप ही भूखण्ड का उपयोग किया जाये।
अनु0वि0सं0 : 05	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 18 मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण में कार्यरत 18 मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करते हुए पूर्व में प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक के स्थान पर समूह-'ग' के कर्मियों हेतु रू0 8000/- एवं समूह-'घ' के कर्मियों हेतु रू0 7000/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अनु0वि0सं0 : 06	देवपुर पारा योजना में वर्ष 2001 में निर्मित आश्रयहीन भवनों को ध्वस्त करके उसी स्थान पर ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0, मिनी एम0आई0जी0, एम0आई0जी0 व सुपर एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव के बिन्दु-1 के अन्तर्गत उल्लिखित 5824 भवनों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया।

आश्रयहीन भवनों के ऐसे आवंटी जिन्होंने पूर्व में भवन क्रय करने हेतु धनराशि जमा कर दी थी, उन्हें नये ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाये तथा यदि वे नव-निर्मित भवन के आवंटन हेतु इच्छुक हो तो, उनके द्वारा पूर्व में जमा धनराशि को मय ब्याज विक्रय मूल्य में समायोजित करते हुए शेष धनराशि नये दर पर जमा कराई जाये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिन्हें पूर्व आवंटित भवनों के

स्थान पर नये ई0डब्लू0एस0 भवन आवंटित किये जाये उन्हें शासन की किसी अन्य लाभकारी योजना के अन्तर्गत भवन आवंटित न हुआ हो।

<u>अनु0वि0सं0 : 07</u> विस्तारित क्षेत्र लखनऊ महायोजना-2021 के संबंध में।

<u>निर्णय :</u>

1. लखनऊ विस्तारित क्षेत्र महायोजना-2021 (ड्राफ्ट) के अन्तर्गत मुख्य मार्गो पर कूड़ा डम्पिंग ट्रांसफर एवं ट्रीटमेन्ट हेतु आवश्यक भूमि को आरक्षित किया जाय।
2. पेयजल से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु विकसित नहरों के साथ उचित स्थानों पर भूमि आरक्षित की जाये।
3. अन्य नगर स्तरीय सार्वजनिक सुविधाओं तथा सीवर निस्तारण/एस0टी0पी0 हेतु उचित स्थान आरक्षित किया जाये।
4. विद्युत से सम्बन्धित सब-स्टेशन हेतु भूमि आरक्षित की जाये।
5. लखनऊ महायोजना-2021 के स्थान पर लखनऊ महायोजना-2031 तैयार की जाये।
6. प्रचलित लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित कृषि भूमि को विस्तारित क्षेत्र के 197 ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए संशोधित लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>अनु0वि0सं0 : 08</u> मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-2822/(एम0/एस0)/2009 तथा रिट याचिका संख्या-817/2010 (एम0बी0) के क्रम में भूखण्ड संख्या-321, सेक्टर-बी, महानगर के भू-उपयोग के योजना के तलपट मानचित्र में ''आवासीय'' से ''शैक्षिक, नर्सरी स्कूल'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तावित 'आवासीय' से 'शैक्षिक' भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यू0पी0 विद्यालय प्रबंधन एसोसिएशन व अन्य में गठित समिति द्वारा परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनु0वि0सं0 : 09 — नगर में स्थित ए0एस0आई0 से संरक्षित स्मारकों के आस-पास भवनों की ऊँचाई के प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रश्नगत प्रकरण पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से आख्या प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव

(एम0पी0 अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(संजीव सरन)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।